रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (DN.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 453] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 1983/अग्रहायण 3, 1905
No. 453] NEW DELHI, THURSDAY, NOV. 24, 1983/AGRAHAYANA 3, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1983

सं. 313/83-सीमा शुल्क

सा. का. नि. 859 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) के अनुसरण में भारत सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 282 सीमा शुल्क [सा का. नि. सं. 781 (अ)], तारीख 1 अक्तूबर, 1983 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् उक्त अधिसूचना के नीचे की अनुसूची

में क्रम सं. 9 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
9	हांग कांग के डालर	74.35

[फा. सं. 503/5/83-सीमा-शुल्क-6]

आर. एस सिद्धू, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 1983

No. 313—CUSTOMS

G.S.R. 859(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. 282 Cus. [G.S.R. No. 781(E)] dated the 1st October, 1983 namely :—

In the Schedule below the said notification for serial No. 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
9	Hong Kong Dollars.	74.35

[F. No. 503|5|83-Cus. VI]

R. S. SIDHU, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983